//निर्णय// (आज दिनांक रू/१०/१) को घोषित)



01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हेकिल एक्ट की	1
- 10 = M10 A.S.	
व नाम मान हो। होवाशिक प्रतिभाग	
वहत दण्डनीय अपराध का दावा पात हुए पात्ति । अरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई ।	١.,
02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया नवा जाराना के प्रकृति को	
पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपाध की प्रकृति को	
5/0 900 2110 2000	• 4,
THEY ELEN UPE OF EIT 185 MM. HCF	
तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए न्यायालय उंडने तक का	-
तहत दण्डनाय अपराय पर जारान । । । । जारान कल	ig a to
कारावास एवं कमशः राशि-रूपयें वुल	
क्ता (अक्टर्सर भारत से अर्थदण्ड से दण्टित किया जाता है।	
03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिकम की दशा में अभियुक्त को दिवस की	
अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।	
04. जप्तशुदा सम्पत्ति वाहन कि. कार्रा कि.	
93515No-masewase। को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये। 500784723	
aine No - KIOBN 740 1632	

मेरे निवेंशन पर टंकित

A.K.Gupta J Judicial magistrate first class, Gohad Dist.Bhind (M:P)